

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 02-12-13

अधि.सं.-01/स्था.स्थाना./पदस्था.-11-01/2011-7195/ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित प्रभारी मुख्य अभियंता(असैनिक) (चालू प्रभार) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-05 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./ जन्म तिथि/ गृह जिला	वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुरेश पासवान 3470/01.10.58/ सीतामढ़ी	714	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) समग्र योजना रूपांकण एवं जल विज्ञान, राँची	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) जल संसाधन विभाग, देवघर	रिक्त पद पर
2.	श्री गणेश राम 3360/02.04.60/ हजारीबाग	685	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) पदस्थापन की प्रतीक्षा में	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) समग्र योजना रूपांकण एवं जल विज्ञान, राँची	क्र० 1 के कारण हुए रिक्त पद पर
3.	श्री अशोक राम 3845/09.01.63/ जजारीबाग	749	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा पर्यटन विभाग को	अतिरिक्त प्रभार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :- 7195 राँची, दिनांक :- 02-12-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :- 7195

राँची, दिनांक :- 02-12-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (दो प्रतियों में)/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी मुख्य अभियंता/प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 03 (तीन) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)।